**E-ISSN:** 2706-8927
**P-ISSN:** 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2020; 2(3): 709-715
Received: 16-05-2020
Accepted: 18-06-2020

**डॉ. मंजु चौधरी**
एसोसिएट प्रोफेसर,
समाजशास्त्रा विभाग, आर॰बी॰डी॰
महिला महाविद्यालय, बिजनौर,
उत्तर प्रदेश, भारत

**Corresponding Author:**
**डॉ. मंजु चौधरी**
एसोसिएट प्रोफेसर,
समाजशास्त्रा विभाग, आर॰बी॰डी॰
महिला महाविद्यालय, बिजनौर,
उत्तर प्रदेश, भारत

# महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज

## डॉ. मंजु चौधरी

**प्रस्तावना**

महिला सशक्तिकरण का मुद्दा वैश्विक समुदाय के समक्ष एक प्रमुख चुनौती का विषय बना हुआ है। लैंगिक प्रश्न आज केवल राजनीति और सार्वजनिक जीवन में मानवता का समावेष करने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि दुनिया में अपनी मानवीय अस्मिता को पुनर्परिभाषित करने के लिए भी यह एक केन्द्रीय आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण के सैद्धान्तिक विमर्श का प्रमुख लक्ष्य है महिलाओं को अधीन करने वाली जटिल सामाजिक सरंचना को पहचानना और उसका सैद्धान्तिक सूत्रीकरण करना।[1] महिला सशक्तिकरण महिला उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को समझने की दिशा में प्रयासरत एवं स्त्री तत्व की दावेदारी को निर्णायक मानने वाली एक गतिशील और निरन्तर परिवर्तित होने वाली विचारधारा हैं, जिसके व्यक्तिगत, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलू है। लगभग दो सौ सालों के लम्बे राजनीति संघर्ष के बाद नारी मुक्ति आन्दोलन के समर्थकों ने इस बात को पहचाना कि "स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि उसे बनाया जाता है।" महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण विकास सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि इसी से समग्र विकास की गति निर्धारित होती है। विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण से अधिक प्रभावी तरीका कोई दूसरा नहीं है। भूमिका चाहें पारंपरिक हो या आधुनिक बहुत कुछ नही है जो महिलाएँ हासिल नही कर सकी हैं। माँ के रूप में व अनंत काल से ही दुनिया के भावी नागरिकों को जन्म देने और पालने-पोसने का काम खूबसूरती के साथ करती आई हैं। बहनों, बेटियों और पत्नियों के रूप में उन्होंने कई तरह से पुरुषों का साथ दिया है। पिछले कुछ समय में तो उन्होंने लैंगिक बाधाएँ भी लाँघी हैं और कई साहसिक कार्य किए हैं। किन्तु महिलाओं के लिए स्थितियाँ हमेशा सकारात्मक नही थीं। अतीत में महिला को पुरुष्रा के बगैर कुछ नहीं माना जाता था, वह केवल बेटी, पत्नी या माँ ही हो सकती थीं, वह नेतृत्व नहीं कर सकती थीं, सार्वजनिक जीवन में उत्पादनकारी भूमिका नहीं अदा कर सकती थीं, हमेज़ा अपने जीवन में मौजूद 'पुरुष' (पिता, बेटा या पति) की छाया में रहती थी।[2] निर्णय लेने में उसकी कोई भूमिका नहीं होती थी। यह नजरिया पश्चिमी समाज में भी था जहाँ बहुत देर से महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ और परम्परागत भारतीय समाज में उनकी स्थिति शोचनीय थी। भारत की आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं और राष्ट्रीय नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों के समान स्थान दे दिया। बाद की सभी सरकारों ने महिलाओं को आर्थिक राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में सम्मान दर्जा देने के लिए कई उपाय किए जिससे उनको अपनी प्रतिभा दर्शाने तथा राष्ट्रीय गतिविधियों में सहभागिता के लिए अवसर प्राप्त हुए। केद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं ने महिलाओं की विमुक्ति की दिशा में बहुत कुछ किया है लेकिन आज भी स्त्री शोषण एवं विभेदीकृत असमानताओं का शिकार हैं।

प्रधानमंत्री ने महिला जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महिला नेतृत्व से युक्त विकास के महत्व पर बल दिया और कहा एक राष्ट्र हमेशा ही महिलाओं से सशक्त होता आया है। उन्होंने महिला विकास की सोच से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए सोचने का आहवाहन किया।[3] महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, मानसिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। उनमें इस प्रकार की क्षमता का विकास जिसमें वे अपने जीवन का निर्वाह इच्छानुसार कर सकें। एवं उनके अंदर आत्मविश्वास और स्वाभिमान को जागृत करना

है। महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी एवं सतत् चलने वाली प्रक्रिया। इसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण एवं सम-समाज की स्थापना करना है, क्योंकि लिंगगत समानता को सुशासन की कुंजी कहा जाता है।[4] स्पष्ट है कि सभी समस्याओं की जड़ असमानता में अर्न्तनिहित है एवं समाज अपने स्वभाव और प्रकृति में पितृसत्तात्मक है। जैसा कि सीमोन दी बुआ ने अपनी पुस्तक द सेकेण्ड सेक्स में लिखा है कि अब तक औरत के बारे में पुरुषों ने जो कुछ लिखा है उस पर शाक किया जाना चाहिए, क्योंकि लिखने वाला न्यायधीश और अपराधी दोनों हैं। इसलिए महिलाओं के साथ व्यवहार में समानता और देश के विकास में उनकी पूरी सहभागिता के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए।किसी भी राष्ट्र की परम्परा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं में परिलक्षित होती है किन्तु यह निराश एवं सदमा पहुँचाने वाला तथ्य है कि महिलाओं के पोषण एवं उनके अधिकारों को लेकर हमने बहुत काम नहीं किया है। लिंग भेद और माताओं के कुपोषण को समाप्त करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है। ये मूल रूप से असली समस्याएं हैं। हमारें यहाँ माताओं के कुपोषण की घटनाएँ इस कदर व्यापक हैं कि गर्भ में पल रहे शिशु कुपोषण के शिकार होते हैं। कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं और ऐसे बच्चे स्वस्थ्य लड़के या लड़कियाँ नही बन पाते हैं। उनके पैदा होने के बाद भी वे वंचित रहते हैं। यह चीज भी ज्यादातर कोख में मिलती है। इसकी वजह भी लिंग भेद है इस प्रकार लैंगिग वंचना, लिंग भेद और बच्चों में वंचना ज्यादातर एक दूसरें से जुड़ी हुई हैं ऐसा चिकित्सकीय तर्क है कि कुपोषित बच्चों को हृदय संबंधी बीमारियाँ हो जाती है। माताओं में कुपोषण, कुपोषित बच्चे और भारत में बड़े पैमाने पर हृदय रोग एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है जिसकी मूल रूप से बड़ी वजह महिलाओं की उपेक्षा है।[5]

**स्त्री असमानता एक परिदृश्य:** महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटक है जिसको समझने के लिए हमे अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक ढ़ाचे सहित उसके बहुआयामी प्रभाव पर चिन्तन करना होगा, जिसमें असमानता गहरे रूप से विद्यमान है। जहाँ तक राजनीतिक संरचना का प्रश्न है महिलाएं आज विश्व मतदाताओं का आधा हिस्सा बन चुकी हैं लेकिन इनमें से सिर्फ 18 फीसदी ही सांसद हैं। नार्डिक देशों में 41 प्रतिशत, अमेरिकी देशों में 21.8 प्रतिशत अन्य यूरोपीय देशों में 19.1 प्रतिशत सब सहारन अफ्रीकी देशों में 17.2 प्रतिशत प्रशांत क्षेत्र के देशों में 13.13 प्रतिशत अरब देशों में 9.6 प्रतिशत और भारत के सन्दर्भ में राष्ट्रीय विधायिकाओं में भागीदारी के मामले में यह आकड़ा मात्र 9. 1 प्रतिशत हैं। अधिकतर राज्यों में यह आंकड़ा मात्र और भी कम है।[6]

**तालिका संख्या 1:** चुनिंदा देशों की लैगिंग विकास सूचकांक

| देश | लैगिंक विकास सूचकांक | | लैगिंक विकास सूचकांक | | जीवन प्रत्याशा | | स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष | | स्कूली शिक्षा के वर्षो का औसत | | प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | | 2014 | | 2014 | | 2014 | | 2014 | | 2014 | |
| | मूल्य | समूह | महिला | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला | पुरूष |
| श्रीलंका | 0.948 | 3 | 0.730 | 0.769 | 78.2 | 71.5 | 14.2 | 13.3 | 10.7 | 10.9 | 5452 | 14307 |
| चीन | 0.943 | 3 | 0.705 | 0.747 | 77.3 | 74.3 | 13.2 | 12.9 | 6.9 | 8.2 | 10128 | 14795 |
| भारत | 0.795 | 5 | 0.525 | 0.660 | 59.5 | 66.6 | 11.3 | 11.8 | 3.6 | 7.2 | 2116 | 8656 |
| बांग्लादेश | 0.917 | 4 | 0.541 | 0.590 | 72.9 | 70.4 | 10.3 | 9.7 | 4.5 | 5.5 | 2278 | 4083 |
| पाकिस्तान | 0.726 | 5 | 0.436 | 0.601 | 67.2 | 65.3 | 7.0 | 8.5 | 3.1 | 6.2 | 1450 | 8100 |

सामाजिक घटक तो सदमा पहुँचाने वाला है। भारतीय समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव करने की परस्पर विरोधी सोच विद्यमान है। एक तरफ तो भारत में महिला राष्ट्रपति और महिला प्रधानमंत्री के रूप जानी मानी महिलाएँ हुई हैं तथा राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर बड़े राजनीति दलों की प्रमुख महिलाएँ है। इसके बावजूद मानव विकास रिपोर्ट (2015 के अनुसार) लैगिंग असमानता सूचकांक में 188 देशों में भारत 130वें स्थान पर है तथा भारत में महिलाओं का मानव विकास सूचकांक मूल्य 2014 में 0.525 है जो दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को छोड़कर सबसे कम है।[7] भारत के सन्दर्भ में बालिकाओं का औसत स्कूलिंग बालकों की तुलना मे 3.6 वर्षा कमतर है जोकि भारत के सांस्कृतिक संदर्भ में बालिकाओं के शैक्षिणक पिछडेपन को दर्शाता है। जो महिलाओं को परिवार के बारह आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के साथ शिक्षा और कौशलों की कमी-आर्थिक गतिविधि में भागीदारिता से भी उन्हें रोकती है जिनके कारण आगे चलकर महिलाएं दरिद्रता और दमन का शिकार होती है।[8] इसलिए वर्तमान सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या में महिलाओं के बड़े अनुपात के साथ लैगिंक असमानता सम्बन्धी मुद्दों का समाधान किया जाए जो कि भारत में शिक्षा-स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक आर्थिक संरचना में व्याप्त है। भारत में लैगिंग भेदभाव की शुरूआत गर्भ में ही लिंग निर्धारण सम्बन्धी जाँचों और मादा भ्रूण के गर्भपात से होती है। बालिकाओं को दिया जाने वाला पोषण सम्बन्धी भेदभाव, बालिकाओं में स्कूलिंग में भिन्नता, जोकि बालकों के पक्ष में है, उच्चतर शिक्षा में पहुँच ही अपर्याप्तता तथा रोजगार और श्रम बाजारों में अवसरों में भागीदारी के भेदभाव से होता है। जनगणना 2011 में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष

निकलता है कि देश में स्त्री और पुरुष का अनुपात असंतुलित है। इससे भी चिन्ता की बात यह है कि शून्य से छह वर्ष की आयु तक के बच्चों में भी लिंगानुपात लड़कों के पक्ष में झुका हुआ और भारत में लड़कों की तुलना में लड़कियों की जन्मदर सापेक्षयता पूरी दुनिया में सबसे कम है।[9] इस दशक में शिशु लिंगानुपात में कमी आयी है, जनगणना 2001 में शिशु लिंगानुपात 927 था जो 2011 घटकर 914 हो गया यह निराश करने वाला तथ्य है। जहाँ तक आर्थिक ढाँचे का प्रश्न है, महिलाएँ अभी भी आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन की परिधि से बाहर है। 2012 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के आंकड़े के अनुसार केवल 24.2 प्रतिशत खाते महिलाओं के पास हैं जबकि अखिल भारतीय स्तर पर केवल 27.5 प्रतिशत महिलाओं के पास बैंक खाता है। कृषि उद्योग और सेवाओं में महिलाओं को रोजगार में सिर्फ 2.61 प्रतिशत की भूमिका प्राप्त की है। सेवा क्षेत्र में यह मात्र 9 प्रतिशत है।[10] जहाँ तक प्रशासनिक ढाचें का सवाल है आज भी अधिकांशतः पुरुष वर्चस्व वाला दिमाग काम कर रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 11 प्रतिशत है। किन्तु खेदजनक यह है कि नियोजित ढंग से महिलाओं को निचले स्तर की नरम जिम्मेदारियों दी जाती है। नई दिल्ली में 99 सचिव स्तरीय पदों में केवल 8 पद महिलाओं के पास है और 65 अतिरिक्त सचिवों में केवल चार महिलाएं है। 283 संयुक्त सचिवों में सिर्फ 37 महिला है। भारतीय पुलिस सेवा में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 5.6 प्रतिशत के आस-पास है वहीं भारतीय वन सेवा में इनकी भागीदारी नगण्य है।[11] राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार वेतनदायी कार्य में महिलाओं की कुल संख्या 15 प्रतिशत है अर्थात 85 प्रतिशत महिलाओं की नियति निर्भरता के संरचनात्मक रूप में निहित है। इन घटकों का अवलोकन करने से यह तथ्य दृष्टिगत होता है कि महिलाएं आज भी वंचना का शिकार हैं। इस वंचना को दूर करने के लिए महिला सशक्तिकरण एक आवश्यक पूर्वशर्त है। महिलाओं का सशक्तिकरण समाज निचले स्तर से होना चाहिए और इसके लिए उनके प्रति मूल्यों और व्यवहार में परिवर्तन के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाने की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि सभी समस्याओं की जड़ असामनता में निहित है। इसलिए महिलाओं के साथ व्यवहार में समानता और देश के विकास में उनकी पूरी सहभागिता के लिए कदम उठाना आवश्यक है।

'संयुक्त राष्ट्र सहस्त्रीब्दी विकास लक्ष्य' एवं उसके स्थान पर 2015 में स्वीकृत नए 'सतत विकास लक्ष्य' 2030 में भी लिंग आधारित समानता एवं नारी सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल दिया गया है। भारत, महिलाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करने एवं उनके अधिकारों के संरक्षण संबंधी संयुक्त राष्ट्र सन्धि का हस्ताक्षरकर्त्ता होने के साथ-साथ महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के आयोग कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वूमन का भी सक्रिय सदस्य है।

भारत ने महिलाओं का समान अधिकार प्रदान करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों तथा मानवाधिकार तंत्रों का अनुसमर्थन भी किया। इनमें वर्ष 1993 में महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर कन्वेशन का अनुसमर्थन प्रमुख है। भारत द्वारा मैक्सिको कार्य योजना (1975), नैरोबी फारवर्ड लुकिंग स्टेटजीज (1985), बीजिंग घोषणा तथा कार्रवाई मंच (1995), 21वीं शताब्दी में महिला-पुरुष समानता और विकास एवं शान्ति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में अंगीकार किए गए निष्कर्ष दस्तावेज का भी समर्थक है। लैंगिक असमानता के खिलाफ सितम्बर 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 69वें महासभा अधिवेशन द्वारा चलाये गये विश्व अभियान 'ही फॉर सी' में भी भारत सम्मिलित हुआ।[12] महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की नीति में स्वतंत्रता के बाद से अनेक पारिवर्तन हुए है। 1960 के दशक में अपनायी गई कल्याण की नीति में सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन पाँचवीं पंचवर्षीय (1974-1978) के दौरान आया जब महिलाओं के कल्याण से हटकर महिलाओं के विकास पर जोर देने की नीति अपनाई गई। सरकार की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से लेकर आगे तक महिलाओं के मुददों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से विकास की ओर परिवर्तन आ रहा है। आठवीं योजना (1992-97) में नीति को पुनः परिवर्तित करते हुए सशक्तिकरण एवं विकास प्रक्रिया में महिलाओं को समान भागीदार बनाने पर जोर दिया गया। वर्तमान में ग्यारहवीं 2007-12 एवं बारहवीं योजना (2012-17) में समावेशी विकास पर हमारा ध्यान केन्द्रित है। बाद की दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक विकासात्मक योजनाओं को शुरू किया गया, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति हमारी जागरूकता में और वृद्धि हुई है।

महिलाओं के विकास सशक्तिकरण के लिए सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रम बनाने तथा विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्रों के बीच समन्वय बढ़ाने हेतु 2006 में एक पृथक महिला और बाल विकास मंत्रलय का गठन किया गया। मंत्रालय का प्राथमिक उत्तरदायित्व महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और सरोकारों से संबंधित कार्यों की आगे बढ़ाना तथा उनकी उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास एवं भागीदारी को समग्र रूप से प्रोत्साहित करना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के विजन के अनुसार हिंसा व भेदभाव से मुक्त वातावरण में सशक्त महिलाएं सम्मान से रहें और विकास में पुरुषों के समान भागीदारी निभा सकें। मंत्रालय मिशन है कि विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध नीतियां और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के सरोकारों को मुख्यधारा से जोड़कर, महिलाओं के अधिकारों के बारे में उनमें जागरूकता बढ़ाकर या महिलाओं को अपने मानवाधिकारों को प्रेरित और सम्पूर्ण विकास के लिए संस्थागत और कानूनी समर्थन प्रदान करके महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।[13]

**महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिकाः** महिला पुरुष समानता के सिद्धान्त भारतीय संविधान में भी उल्लेखित किया गया ह। भारतीय संविधान महिलाओं को न केवल समानता प्रदान करता है, बल्कि महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने के लिए राज्य को शक्ति प्रदान करता है। अतः महिलाओं को बराबरी का अधिकार संवैधानिक रूप से प्रदत्त है। भारतीय संविधान में

महिलाओं के सशक्तिकरण एवं सुरक्षा हेतु कई प्रावधान है। इनमें 73वें एवं 75वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रावधान किया गया।[14] जो महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हुआ।

भारत में महिला सशक्तिकरण के प्राचीन काल से लेकर अब तक अनेक प्रयास एवं आन्दोलन हुए है। ऐसे तीन दौर आये जब महिलाओं की अस्मिता को बड़े पैमाने पर मान्यता दी गयी तथा उन्हें अपने बारे में निर्णय करने की स्वंतत्रता मिली। पहला दौर था, बौद्ध धर्म के अभिर्भाव का। बौद्ध धर्म न केवल जाति प्रथा का विरोध किया वरन् स्त्रियों की स्वतंत्रता का भी सम्मान किया। जिससे उनकी सामाजिक स्थिति एवं सम्मान में वृद्धि हुई। भक्ति काल को दूसरा दौर माना जाता है जब स्त्रियों के बंधन कुछ कमजोर हुए और उन्होंने अपने आपको व्यक्त किया। इस बार भी अभिव्यक्ति का माध्यम धर्म ही था, पर उसकी विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से जो पीड़ा सामने आ रही थी, वह लौकिक (भौतिक) जीवन की ही पीड़ा थी। तीसरी बार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान में लाखों महिलाओं को घर से बाहर आने और सार्वजनिक जीवन में शामिल होने का अवसर दिया। गांधी जी के आह्वान पर प्रत्येक वर्ग की महिलाएं स्वतंत्रता आन्दोलन में भागीदार बनी और इस आन्दोलन को व्यापक, समृ द्धएवं अखिल भारतीय स्वरूप किया।

महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से 20 अप्रैल 1993 की क्रांति का दायरा बहुत ही व्यापक है। महिला सशक्तिकरण में पंचायतीराज की भूमिका अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक एवं संस्थात्मक स्तर पर बदलाव आया है एवं राजनीतिक सशक्तिकरण के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण लाने का प्रयास किया जा रहा है महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से पंचायती राज दूरगामी महत्व का साबित हुआ। कई अध्येता, जैसे निर्मल मुखर्जी, जॉर्ज मैथ्यू और रजनी कोठारी इसे क्रान्ति का नाम देते हैं, क्योंकि इसका दायरा बहुत ही व्यापक है। इसी वर्ष पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गयी। स्त्री की स्वतंत्रता के पूर्ववर्ती प्रयास माहौल में परिवर्तन ओर व्यक्तिगत निर्णयों तक सीमित थे। सामाजिक ढांचे में कोई ऐसा परिवर्तन नही किया गया, जिससे स्त्रियों की हैसियत में संरचनात्मक सुधार हो। नतीजा यह हुआ। कि माहौल बदलते ही 'पुनर्मूशकों भव' की स्थिति आ जाती थी। इसके विपरीत, लोकतांत्रिक भारत में जो ऐतिहासिक प्रयोग किया गया, वह (1) राजनीति तंत्र में परिवर्तन पर आधारित है तथा (2) महिलाओं के लिए संस्थागत प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है।15 राजनीतिक तंत्र में परिवर्तन का माध्यम बनी पंचायती राज की नई व्यवस्था जिसमें पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गयी, उनका कार्य क्षेत्र परिभाषित किया गया, उनके संसाधनों के स्रोत निश्चित किये गये। इन्हें भारतीय राज्य का तीसरा संस्तर कहा जाता है, ये संस्थाएं नागरिक समाज एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित हुआ है कि तीनों स्तरों को पंचायतों की कम से कम एक-तिहाई सीटों और पदों पर महिलाएं होगीं यदि आरक्षण मात्र महिलाओं को दिया गया होता तो ज्यादातर सवर्ण और सम्पन्न परिवारों की महिलाएं ही दिखायी देती। इसलिए सामान्य वर्ग मे ही नहीं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर इन वर्गो की एक तिहाई महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। इस तरह पंचायत क्रांति को समाज के सभी वर्गों तक ले जाने की कोशिश हुई। यह पंचायती राज व्यवस्था चार अवधारणाओं पर काम करती रही है-

पहला: पंचायती राज के माध्यम से लोग राजनीति में ज्यादा प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे।

दूसरा: स्थानीय समुदाय को परिवर्तन का वाहक बनाने और उनमें योजनगत चेतना फूंकने से आर्थिक परिवर्तन तेजी से और सक्षमतापूर्वक होगा।

तीसरा: पंचायतों को शक्तियों का हस्तान्तरण होने से सरकारी संस्थाओं सामुदायिक विकास केन्द्रों, योजना समितियों को एक नयी समाज व्यवस्था एवं नागरिक समाज के उन्नयन यानि एक सहकारी समाज के लिए रास्ता साफ होगा।

चौथा: आम जनता के ऐसे समान अनुभव के आधार पर राजनीतिक संगठनों की ऐसी प्रणाली राष्ट्रीय एकता का वाहक बनेगी।

सचमुच भारत में पंचायती राज व्यवस्था की रचना प्राचीन एथेंस के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तर्ज पर की गई हैं हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है। कि प्राचीन भारत में ऐसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र था और पंचायती राज के सिद्धान्त के लिए पंच परमेश्वर की प्राचीन परम्परा से प्रेरणा ग्रहण की गयी है। इसके पीछे स्थानीय स्वशासन का यह सिान्त काम कर रहा है कि सरकार की निचली इकाइयों को सत्ता का अधिकतम हस्तान्तरण और लोकप्रिय निर्वाचन से गठित स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से स्वज़ासन। यह सिान्त चार मान्य बुनियादी धारणाओं पर आधारित है। राजनीति में प्रत्येक वर्ग की जनता की भागीदारी, आर्थिक विकास के लिए संसाधनों को जुटाना, लोकतंत्र में बुनियादी संस्थाओं का समावेश करना और राष्ट्रीय एकता की गारंटी।16 इन सभी पहलुओं में महिलाओं का एक खास महत्व है। क्योंकि जहाँ एक तरह उनके प्रतिनिधित्व के अभाव में सम्पूर्ण लोकतांत्रिक संरचना अपूर्ण रहेगी तो दूसरी तरह उनके सशक्तिकरण के अभाव में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अधूरी रहेगी। इसलिए महिलाओं को पंचायतों को माध्यमों से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पचांयतों में महिलाओं की भागीदारी से उनकी स्थिति में व्यापक बदलाव आया है।

1. पंचायतों के द्वारा महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक सशक्तिकरण की ही देन है कि पिछले 24 वर्षों में देश के भीतर राजनीतिक बहस में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है।
2. राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी की गुणवत्ता में सुधर आया है आर्थिक तथा जीविका से जुड़े मुद्दों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में भी स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, साथ ही बुनियादी सुविधाओं का

विस्तार अधिक हो सकेगा क्योंकि उनकी प्राथमिकाएं एवं आवश्यकताएं उसी तरह की हैं।

3. पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में भी महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण के प्रावधान से संसद एवं राज्यो की विधायिकाओं में भी महिलाओं को आरक्षण देने का दबाव बढ़ता जा रहा है, बहुत सम्भव है कि आने वाले दिनों में यह बदलाव देखने को मिले।
4. पंचायतों में महिलाओं की विगत बारह वर्षों की भागीदारी से यह सिद्ध हो गया है कि जनसंख्या स्थिरीकरण, लैंगिक असंतुलन में सुधार तथा महिलाओं के हितों को प्रोत्साहित करने में वे सबसे प्रभावशाली एंव संवेदनशील माध्यम है।
5. पंचायतों के माध्यम से समाज की जड़ता, धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों, कुशासन एवं भ्रष्टाचार के उन्मूलन में महिलाओं ने प्रतिकूल वातावरण में भी अच्छा काम किया है।
6. पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी नागरिक समाज के उन्नयन, खाद्य, सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा आदि जैसे ज्वलंत एवं संवेदनशील मुद्दों, जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध महिलाओं से है के लिए सशक्त माध्यम है।
7. पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण विकास एवं महिलाओं के विकास जैसे चिन्तन का विकास हुआ और एक नई चेतना का सूत्रपात हुआ है।

उल्लेखनीय है कि पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी का प्रयोग देश के उन हिस्सों में ज्यादा सफल रहा है जहां पहले से ही स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही है अथवा जहां राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम को अपना समर्थन दिया है। लेकिन जहां स्थितियाँ अनुकल नहीं हैं या राजनीतिक दलों का सकारात्क सहयोग नहीं मिला है वहां महिलायें अपने आवश्यक अधिकारों से आज भी वंचित हैं। पंचायतों में चुने जाने के बाद भी महिलायें अपनी क्षमताओं का परिचय न दे सकें, इसके लिए कई अनौचारिक उपाय अपना लिए गए हैं। एक उपाय है, उन्हें नाम मात्र का प्रतिनिधि बना देना। बहुत सी पंचायतों में पुरुष ही महिला के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। वे अपनी पत्नी या किसी अन्य महिला रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाते है उसके जीत जाने पर पंचायत में उनके प्रतिनिधि के रूप् में सारा काम-काज खुद करते हैं। दूसरा उपाय अविश्वास प्रस्ताव। कोई महिला सरपंच बहुत प्रभावशाली है, आत्म विश्वास से सम्पन्न है, तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे पंचायतों से बेदखल कर दिया जाता है। तीसरा, दो बच्चों के नियम का सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को ही उठाना पड़ा है। सरपंच महिला खुद तय नहीं कर सकती हैं कि उसका तीसरा बच्चा होगा या नहीं। यह निर्णय उसका पति करता है। लेकिन तीसरा बच्चा हो जाने पर सरपंच से हटाया जाता है उसकी पत्नी को।

इसलिए महिलाओं के सम्पूर्ण एवं वास्तविक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है पंचायतों का सशक्तिकरण हो क्योंकि कमजोर पंचायतें महिलाओं का सशक्त नहीं कर सकती है। इसलिए पंचायतों की स्थिति को मजबूत करना आवश्यक है। अधिकतर पंचायतों के पास अपना कोई राजस्व नही हैं। नीति निर्माण करने का प्रावधान नहीं है। न्याय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के विकेन्द्रीकरण का सर्वथा अभाव है। इसलिए हमें पंचायती राज को विकास के वाहक के रूप में देखने की बजाय विकास का पंचायती राज के वाहक के रूप में देखना चाहिए, तभी वास्तविक सशक्तिकरण सम्भव हो सकेंगा। हमें यह याद रखना होगा कि केवल ऊपर से नीचे सत्ता के हस्तान्तरण से स्थानीय स्वशासन को अपने मूल रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता हैं क्योंकि लोकतंत्र शासन की इकाई के आकार पर नहीं, वरन् शासन की गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करता है। लोकतंत्र का मतलब स्थानीय भू-क्षेत्र को छोटी-छोटी मात्रा में सत्ता थमा देना नहीं होता, लोकतंत्र का सारतत्व तंत्र क्षेत्र न होकर व्यक्ति में निहित होता है। इसलिए हमें गांधीवादी स्वरुप वाला स्वशासन चाहिए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति चाहे वे पुरुष हो या महिलाएं अपना शासन स्वयं करें, जिसमें सत्ता का बाहव लम्बवत न होकर क्षैतिज हो यानि समुद्र की तरंगों की तरह। हमे यह सुनिश्चित करना होगा। कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की आड़ में लोकतात्रिंक केन्द्रवाद जैसा खतरा न पैदा हो।[17]

पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से उनकी स्थिति में व्यापक बदलाव आया है। पंचायतों के द्वारा महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक सशक्तिकरण की देन है कि लगभग 24 वर्षों में देश के भीतर राजनीतिक विमर्श में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ हैं, देश भर में 32 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि में लगभग 12 लाख महिलाएं है। और 80000 अध्यक्ष है। यह लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। इतिहास या दुनिया में इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है।[18]

यह संख्या विश्व में कुल निर्वाचित महिलाएं प्रतिनिधियों से भी अधिक है। जबकि आरक्षण से पहले निर्वाचित महिलाओं की संख्या मात्र 4.5 फीसदी थी। कुछ राज्यों में जैसे बिहार में 55 प्रतिशत, उत्तराखंड में 54 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 52 प्रतिशत, कर्नाटक में 48 प्रतिशत एवं केरल में 47 प्रतिशत महिलायें पंचायतों में चुनाव जीत कर आती हैं।

यह बदलाव सिर्फ संख्यात्मक ही नही है बल्कि यह अन्तर गुणात्मक भी हैं। ये निर्वाचित महिला प्रतिनिधि 'नागरिक समाज' के राजकाज संबंधी आने अनुभवों को राज्य के राजकाज संचालन में भी ले आई हैं। इस प्रकार वे राज्य को गरीबी, गैर बराबरी व लैंगिग न्याय सरीखे मुद्दों के प्रति संवेदनशील बना रही है। इन महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए उठाया गया यह कदम 'सकारात्मक भेदभाव' कहा जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं के स्वयं के बारे में सोच बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा है कि "पंचायती राज की सबसे बड़ी सफलता यही है कि उसने महिलाओं का राजनैतिक व सामाजिक सशक्तिकरण किया है जो आधुनिक युग में विश्व इतिहास में एक अनोखी मिसाल है।"[19]

पंचायतों में निर्वाचित महिलाएँ नेतृत्व गुण व नारीवादी सोच के माध्यम से राजकाज में बदलाव ला रही है। ये महिलाएँ, पानी,

शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा, नशामुक्ति, उत्पीड़न और बुनियादी सुविधाओं के विकास सरीखे मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकताएँ उसी प्रकार की हैं। देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महिला सशक्तिकरण अति आवश्यक है और इसी कारण देश के विकास के लिए महिलाओं को मुख्यधारा में लाना सरकार की प्रमुख चिन्ता रही है। महिला सशक्तिकरण सम्पूर्ण भारत के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं का सशक्तिकरण, जीवन के सभी क्षेत्रों मे पारदर्शी सतत् विकास एवं उत्तरदायिता सरकार के लिए आवश्यक है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि गाँव की स्थानीय सभा में महिलाओं द्वारा उठाए गए मुद्दें 1995 में कोपेनहेगन में आयोजित सामाजिक शिखर सम्मेलन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ 'मिलेनियम डेवलपमेंट गोल' (2000) एवं 'सतत विकास लक्ष्य' (2030) से जुड़े हुए हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, बाल विकास, विकलांग कल्याण, वृद्ध कल्याण व महिला विकास। वे इन्हीं सामाजिक विषयों पर चर्चा करते हुए इस 'ग्लोबल थीम' को स्थापनीय स्तर पर नीतियों व कार्यक्रमों में शामिल करने एवं रुपान्तरित करने मे लगी हुई हैं।

## निष्कर्ष

महिलाएं भारत की आबादी का लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा है, इसलिए यह आवश्यक है कि सामाजिक, आर्थिक माहौल में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए आबादी के बड़े हिस्से को पितृसत्तात्मक सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है और सरकार को उपयुक्त नीतियाँ अपनाकर यह बदलाव लाने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे प्रयास एवं सकारात्मक कानून बनाने से महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यकता है लचीली एवं प्रभावी रणनीतियों को अपनाने की। इसके लिए हमें यह बात आत्मसात एवं अंगीकार करनी होगी कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में किए गये सभी प्रयास पुरुष विरोधी नही हैं वरन् यह विकास का अनिवार्य घटक हैं। यह प्रयास महिलाओं के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज के सशक्तिकरण के लिये आवश्यक है क्योंकि जब तक आधी आबादी का सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक पूरे समाज का सशक्तिकरण सम्भव नही है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देश के विकास के संतुलित एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देगी जिससे अतत: भारतीय लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। क्योंकि महिलाओं की सभी स्तरों पर निर्णय एवं नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता के बिना समता एवं न्यायपूर्ण विकास की प्राप्ति नहीं होगी। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं। उनमें अन्याय और शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की हिम्मत बढ़ी है, इनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आया हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है तथा रचनात्मक कार्यक्रमों में इनकी भागीदारी बढ़ी है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है पंचायतों का सशक्तिकरण।

महिलाओं के हितों की रक्षा व उनका सशक्तिकरण हमारी आर्थिक जिम्मेदारी है इस संदर्भ में दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सिर्फ सकारात्मक कानून आवश्यक नहीं है उससे भी अधिक आवश्यकता है लोगों में जागरूकता फैलाना, कानूनों का प्रभावी निष्पादन एवं सरकारी अनुक्रियाशीलता का होना क्योंकि कानून के भय एवं ऊपर से थोपे गये विचार से वास्तविक सशक्तिकरण सम्भव नहीं है। आवश्यकता है ऐसी सरकारी नीतियों की जो महिलाओं के लिए सार्थक जीवन व्यतीत करने का वातावरण तैयार कर सकें। उनके व्यक्तिव का समग्र विकास, अवसर तथा ऐसी परिस्थिति तैयार करना जिनसे महिलाएँ सम्मान के साथ समाज की मुख्य धारा में सहभागी हो सकें। किसी भी राष्ट्र की परम्परा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं से परिलक्षित होती है क्योंकि महिलायें समाज की रचनात्मक शक्ति होती है। वर्तमान समाज को समृद्ध करने एवं भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमें महिलाओं की स्थिति को सुधारना होगा इसके लिए समाज की मानसकिता बदलनी होगी एवं अपनी रूढ़िवादिता का त्याग कर एक नयी समावेशी विकासवादी रणनीति अपनानी होगी। यहाँ पर स्वामी विवेकानन्द की उस उक्ति को स्मरण करना उपयुक्त होगा, जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है।

## सन्दर्भ


1. आर्या साधना, मेनन निवेदिता, लोकनीता जिनी, 'नारावादी राजनीति : संघर्षो एवं मुद्दे', हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली, 2001 पृ. 1-2
2. योजना प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली सितम्बर 2016 पृ. 7
3. वहीं पृ. 23
4. कोठारी रजनी, 'राजनीति की किताब', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002 वृ. 107
5. सीमोन दी बुआ, 'द सेकेण्ड सेक्स', पिकाडोर, 1988
6. एस प्रसन्ना राजन का आलेख, 'जिन्हें नाज है हिन्द पर वो कहाँ है', के अन्तर्गत अमर्त्य सेन एवं ज्यांद्रेज, की पुस्तक एन अनसर्टेन ग्लोरी इण्डिया एण्ड इट्स कन्ट्राडिक्ज़न का अंश, इण्डिया टुडे, 17 जुलाई 2013
7. आर्थिक समीक्षा 2015-16 वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, पृ. 215-16
8. वहीं पृ. 216-17
9. आर्थिक समीक्षा 2014-15 वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, पृ. 142-143
10. कुरूक्षेत्र, 'ग्रामीण महिला सशक्तिकरण', अंक 10, अगस्त 2013 पृ. 12
11. नेशनल कमीशन ऑन सेल्फ इम्लॉयड वूमेन, श्रमशक्ति रिपोर्ट, नई दिल्ली, 1988

12. कुरूक्षेत्र, 'ग्रामीण महिला सशक्तिकरण' अंक 10, अगस्त 2013 पृ. 11
13. भारत 2016 सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली पृ. 825
14. महीपाल, 'पंचायती राज : अतीत, वर्तमान और भविष्य', सारांश प्रकाशन, नई दिल्ली 1996, पृ. 22-23
15. मैथ्यू जार्ज, 'पंचायती राजः समस्याएँ एवं परिप्रेक्ष्य', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2003 पृ. 107
16. कोठारी रजनी, पूर्वोवत, पृ. 106
17. वहीं, पृ. 113
18. मणिशंकर अय्यर का आलेख, इण्डिया टुडे, नई दिल्ली 26 अगस्त 2009 पृ. 37-38
19. रविवारी, जनसत्ता, नई दिल्ली 27 अप्रैल 2007